

जनपद बाराबंकी

दिनांक 24.11.2022

थाना देवा पुलिस ने गोवध अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद -

जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 23.11.2022 को थाना देवा पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 630/2022 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम में वांछित अभियुक्त सहजराम उर्फ टाईगर पुत्र कालीचरण निवासी अनवारी थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी को बरेठी बाजार के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 12 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस बरामद कर थाना देवा पर मु0अ0सं0 675/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

सहजराम उर्फ टाईगर पुत्र कालीचरण निवासी अनवारी थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी।

बरामदगी-

1. एक अदद तमंचा 12 बोर
2. एक अदद जिंदा कारतूस 12 बोर

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 172/15 धारा 147/323/452/352/325 भादवि थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी
2. मु0अ0सं0 98/17 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी
3. मु0अ0सं0 36/17 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी
4. मु0अ0सं0 98/19 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी
5. मु0अ0सं0 105/17 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी
6. मु0अ0सं0 136/19 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी
7. मु0अ0सं0 137/19 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी
8. मु0अ0सं0 48/19 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी
9. मु0अ0सं0 132/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी
10. मु0अ0सं0 108/22 धारा 379/429 भादवि व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी
11. मु0अ0सं0 14/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी
12. मु0अ0सं0 353/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी

पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री पंकज सिंह थाना देवा जनपद बाराबंकी ।
2. उ0नि0 सत्येन्द्र प्रकाश पाण्डेय, उ0नि0 श्री राम सिंह थाना देवा जनपद बाराबंकी।
3. हे0का0 अजय सिंह, का0 मनीष त्रिपाठी, का0 अजीत सिंह थाना देवा जनपद बाराबंकी।
4. का0 बलवीर यादव, का0 भुवनेश कुमार, का0 हरवंश कुमार थाना देवा जनपद बाराबंकी।